बिहार सरकार

कला, संस्कृतिएवं युवा विभाग

(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)

अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल में सहभागिता हेतु सहायता राशि

विज्ञापन

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार के छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 (वर्ष 2017–2018 के विज्ञापन में अंकित जमा करने की तिथि 20.12.2017 से 31.01.2020 की अवधि) में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में **सहभागिता के लिए** सहायता राशि की स्वीकृति प्रदान करने हेतु विभिन्न खेल संघो/खिलाड़ियों से निम्न निदेशों के आलोक में दिनांक–25.02.2020 के अपराह्न 5:00 बजे तक निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, कमरा नं0–324, तृतीय तल, विकास भवन, पटना–800015 के पते पर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के माध्यम से आवदेन आमंत्रित किया जाता है:–

1. अधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा चयनित बिहार राज्य के खिलाड़ी जिन्होंने आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, वे इस सहायता राशि के पात्र होंगे।
2. भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय आधिकारिक प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु दल की प्रतिभागिता का स्वीकृति पत्र (वित्तीय सहायता सहित/वित्तीय सहायता रहित) संलग्न करना आवेदक के लिए अनिवार्य होगा या संबंधित राष्ट्रीय खेल संघ/परिसंघ द्वारा इस संबंध/आशय का उल्लेख चयन पत्र में स्पष्ट रूप में होना चाहिए।
3. यह सहायता राशि केन्द्र सरकार/राष्ट्रीय खेल संघ/परिसंघ द्वारा वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता की स्थिति में ही अनुमान्य होगा।
4. नौकरी करने वाले खिलाड़ी को अपने नियोक्ता के माध्यम से सहायता राशि हेतु आवेदन करना होगा। उन्हें नियोक्ता द्वारा वित्तीय सहायता मिलने की स्थिति में सहायता राशि अनुमान्य नहीं होगा।
5. आवेदन पत्र संबंधित खेल के प्रतिभागी खिलाड़ी के राज्य संघ के सचिव तथा विभागीय विद्यालय एवं खेलो इण्डिया में प्रतिभागी खिलाड़ी का आवेदन विभाग के प्रमंडलीय उप निदेशक या अधीक्षक से अनुशंसित कराना होगा।
6. खेल सहभागिता हेतु सहायता राशि गठित समिति के अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत की जायेगी।
7. राज्य के कम से कम पन्द्रह जिलों में संबद्ध ईकाईयों वाले मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघो को ही अनुदान के लिए योग्य माना जायेगा। इसके लिए जिला ईकाईयों की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य संघ उनकी नियमावली के आधार पर चुनाव संघ के पदाधिकारियों के नाम की घोषणा, संघ के बैंक एकाउन्ट विवरणी संघ का अपना पैन नंबर, आई.एफ.एस कोड,आयकर रिटर्न का विवरण,पिछले साल की रिपोर्ट संबंधी कागजात जमा करना अनिवार्य होगा। राज्य खेल संघों के अनुदान भुगतान के तीन माह के भीतर व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। खेल संघ को बिहार खेल–कूद (खेल–कूद संगमो का रजिष्ट्रीकरण,मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निबंधित एवं सम्बद्धता प्राप्त होना अनिवार्य है।
8. साथ ही चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर संघ द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु अयोग्य माना जायेगा।
9. संबंधित खेल संघ सूचना के अधिकार नियमावली, 2005 के आलोक में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपने अपने खेल संघ में लोक सूचना पदाधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकार नामित करेंगे तथा इसकी सूचना राज्य सूचना आयुक्त, बिहार तथा निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण, बिहार को उपलब्ध करायेंगे।

10. विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

नोट– 1. **किसी प्रकार के स्मृति/आमंत्रण प्रतियोगिता तथा गैर आधिकारिक प्रतियोगिता के लिए सहायता राशि देय नहीं होगी।**

2. **उपरोक्त पात्रता से संबंधित सभी अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

3. **पूर्व में प्राप्त सहायता राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा।**

4. **अपूर्ण/अधूरा भरे आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।**

<u>सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र निम्नवत है:–</u>

1. आवेदक का नाम:–
2. पिता का नाम:–
3. पूरा पता :–
   (दूरभाष संख्या सहित)
4. ईमेल आई.डी. :–
5. वेबसाईट का नाम :–
6. अनुसूचित जाति के हैं या नहीं–यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. वार्षिक आय :–
8. पैन नंबर :–
9. विगत् दो वितीय वर्ष का समपरीक्षित लेखा की छायाप्रति :–
10. विगत् दो वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति :–
11. प्रतियोगिता जिसमें भाग लेना/लिया है :–
12. उपलब्धि (प्रतियोगिता जिसके आधार पर चयन किया गया है) :–
13. यदि सवारत् हैं तो नियोक्ता का अनापति प्रमाण पत्र :–
14. अन्य स्त्रोतो से यदि इस प्रयोजनार्थ :–
    कोई वित्तीय सहायता ली गई हो तो
    प्राप्त सहायता की मात्रा सहित पूर्ण ब्यौरा
15. अन्य कोई संबंधित सूचना:–

दिनांक:–..........................
स्थान:–.............................

आवेदक का हस्ताक्षर

<u>घोषणा</u> (आवेदक द्वारा स्वलिखित)

मैं एतद् द्वारा निश्चयपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए संपूर्ण ब्यौरे सही हैं।

दिनांक.....................
स्थान....................

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम:–

28.01.2020

(डॉ0 संजय सिन्हा), भा.प्र.से
निदेशक,
छात्र एवं युवा कल्याण।

D-letter work 2020 pk 129